

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28102020-222788 CG-DL-E-28102020-222788

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3403] No. 3403] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 28, 2020/कार्तिक 6, 1942 NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 28, 2020/KARTIKA 6, 1942

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग)

(चमड़ा और फुटवियर अनुभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 27 अक्तूबर, 2020

का.आ. 3857(अ).—केंद्रीय सरकार का, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 25 की उप-धारा के साथ पठित धारा 16 की उप-धाराओं (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए भारतीय मानक ब्यूरो के साथ परामर्श करने के पश्चात यह राय है कि यह लोकहित या समीचीन में आवश्यक है, निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात -

- 1. **संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ -** (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम वैयक्तिक सुरक्षा उपकरण फुटवियर (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2020 कहा है।
 - (2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।
- 2. मानक चिह्न का अनिवार्य उपयोग- सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट वस्तुएं या सामान उक्त सारणी के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट तद्नुरूपी भारतीय मानक के अनुरूप होंगे तथा उनमें भारतीय मानक ब्यूरो (अनुपालन मूल्यांकन) विनियम, 2018 की अनुसूची-II की स्कीम-I के अनुसार ब्यूरो के अनुज्ञप्ति के तहत मानक चिह्न लगा होगा।

परंतु कि इस आदेश की बात निर्यात की वस्तुओं या सामान पर लागू नहीं होगी।

3. प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकरण – भारतीय मानक ब्यूरो उक्त सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट वस्तुओं या सामान के संबंध में प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकरण होगा।

5239 GI/2020 (1)

सारणी

वस्तु या सामान	भारतीय मानक	भारतीय मानक का शीर्षक
(1)	(2)	(3)
वैयक्तिक सुरक्षा	आईएस: 15298 (भाग 2): 2016	वैयक्तिक सुरक्षा उपकरण - भाग 2 सुरक्षा फुटवियर
उपकरण - फुटवियर	आईएस: 15298 (भाग 3): 2019	वैयक्तिक सुरक्षा उपकरण - भाग 3 सुरक्षा फुटवियर
	आईएस: 15298 (भाग 4): 2017	वैयक्तिक सुरक्षा उपकरण - भाग 4 व्यवसाय फुटवियर

नोट : इस सारणी के प्रयोजन के लिए, भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा समय-समय पर प्रकाशित और अधिसूचित किए गए संशोधनों सहित भारतीय मानकों के नवीनतम संस्करण ऐसी अधिसूचना की तारीख से लागू होंगे।

[फा. सं. पी-27025/4/2020-चमड़ा]

अनिल अग्रवाल, संयक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department for Promotion of Industry and Internal Trade)

(LEATHER AND FOOTWEAR SECTION)

ORDER

New Delhi, the 27th October, 2020

- **S.O.** 3857(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of section 16 read with sub-section (3) of section 25 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government, after consulting the Bureau of Indian standards, is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, hereby makes the following Order, namely:-
- **1. Short title, commencement** (1) This Order may be called the Personal Protective Equipment-Footwear (Quality Control) Order, 2020.
 - (2) It shall come into force from the dated of its publication in the Official Gazette.
- **2.** Compulsory use of Standard Mark.—Goods or articles specified in the column (1) of the Table shall conform to the corresponding Indian Standard specified in the column (2) of the said Table and shall bear the Standard Mark under a licence from the Bureau as per Scheme-I of Schedule-II of Bureau of Indian Standards (Conformity Assessment) Regulations, 2018:

Provided that nothing in this order shall apply to goods or articles meant for export.

3. Certification and Enforcement Authority.—The Bureau of Indian Standards shall be the certifying and enforcing authority for the goods or articles specified in the column (2) of the said Table.

TABLE

Goods or articles	Indian Standard	Title of Indian Standard
(1)	(2)	(3)
Personal Protective Equipment - Footwear	IS 15298 (Part 2): 2016	Personal protective equipment - Part 2 Safety Footwear
	IS 15298 (Part 3): 2019	Personal protective equipment - Part 3 Protective Footwear
	IS 15298 (Part 4): 2017	Personal protective equipment - Part 4 Occupational Footwear

Note: For the purposes of this Table, the latest version of Indian Standards including the amendments issued thereof, as published and notified by the Bureau of Indian Standards from time to time, shall apply from the date of such notification.

[F. No. P-27025/4/2020-Leather]

ANIL AGRAWAL, Jt. Secy.